

बाबत नं० 183  
दिनांक 2-6-2023

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता  
(बजट अनुभाग)  
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून  
संख्या : 324 / प्र0अ0 / सिं0वि0 / बजट / बी-1 / आवंटन / कैम्प

दिनांक : 25 मई, 2023

कार्यालय ज्ञाप

शासनादेश संख्या File No. IRR 1/2022-II-2-Irrigation and Minor Irrigation Department (Computer No. 28374)/I/124363/2023, दिनांक 24.05.2023 द्वारा पूंजीलेखा के अनुदान संख्या-20 राज्य सैक्टर जमरानी बांध परियोजना हेतु एन0पी0बी0/भूमि अधिग्रहण (53-वृहद निर्माण) मद के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में ₹ 115.664 लाख (रुपये एक करोड़ पन्द्रह लाख छियासठ हजार चार सौ मात्र) का प्रमुख अभियन्ता के निर्वर्तन पर रखते हुये आवंटन किया गया है।

अतः उक्त आवंटित धनराशि ₹ 115.664 लाख का मुख्य अभियन्तावार/खण्डवार/मदवार निम्नानुसार आवंटन किया जाता है :-

| क्र. सं. | मद का विस्तृत विवरण/कार्य का नाम/मुख्य अभियन्ता/खण्ड का नाम                                                                                                                                          | (धनराशि ₹ लाख में) |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| क        | 20/4700-मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परियोजना, 80-सामान्य, 001-निर्देशन तथा प्रशासन, 04-जमरानी बांध परियोजना हेतु एन0पी0बी0/भूमि अधिग्रहण हेतु धनराशि, 00-53-वृहद निर्माण (4700-80-001-04-00-53)          |                    |
|          | मुख्य अभियन्ता स्तर-2, हल्द्वानी                                                                                                                                                                     |                    |
|          | जमरानी बांध निर्माण खण्ड-2, हल्द्वानी                                                                                                                                                                |                    |
|          | (पी0आई0यू0 जमरानी बांध के निर्वर्तन पर रखा जायेगा)                                                                                                                                                   |                    |
| 1        | जमरानी बांध बहुददेशीय परियोजना के अन्तर्गत ए0डी0बी0 की वांछनानुसार अतिरिक्त अध्ययन कार्य ।                                                                                                           | 65.56              |
| 2        | भीमताल ब्लाक के अमृतपुर-जमरानी मोटर मार्ग पर डहरा क्षेत्र में गोला नदी के कटाव से बनी कैविटी के कारण परियोजना मार्ग की भविष्य में विस्तारित क्षति को रोकने हेतु क्षतिग्रस्त कार्यों की पुनर्स्थापना। | 50.104             |
|          | योग मुख्य अभियन्ता स्तर-2, हल्द्वानी                                                                                                                                                                 | 115.664            |
|          | (रुपये एक करोड़ पन्द्रह लाख छियासठ हजार चार सौ मात्र)                                                                                                                                                |                    |

उपरोक्त आवंटित बजट का उपभोग शासनादेश संख्या File No. IRR 1/2022-II-2-Irrigation and Minor Irrigation Department (Computer No. 28374)/I/124363/2023, दिनांक 24.05.2023 में उल्लिखित निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अन्तर्गत किया जायेगा:-

- सम्बन्धित धनराशि का व्यय उसी योजना के अन्तर्गत किया जाये, जिसके लिये धनराशि अवमुक्त की जा रही है । धनराशि के अन्यत्र विचलन की दशा में सम्बन्धित अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।
- अवमुक्त की जा रही धनराशि के आहरण व व्यय में वित्त विभाग उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0-111469/09(150)-2019/XXVII(1)/2023, दिनांक 31.03.2023 में निर्धारित शर्तों के साथ-साथ बजट मैनुयल, वित्तीय हस्तपुस्तिका, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 संशोधित नियमावली के सुसंगत प्राविधानों तथा शासन द्वारा मितव्यता के विषय में समय-समय पर जारी किये गये आदेशों एवं निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन किया जाय।

31/5/23  
31/5/23  
31/5/23

31/5/23

3. व्यय करने से पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि जिन कार्यों हेतु धनावंटन किया गया है। वे कार्य किसी अन्य योजना/विभाग से वित्त पोषित/स्वीकृत न हो, इसका पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित अधिकारी का होगा। कार्य की लागत को किसी भी दशा में पुनरीक्षित नहीं किया जायेगा।
4. उपरोक्त उल्लिखित शर्तों/प्रतिबन्धों एवं उल्लिखित धनराशि के सम्बन्ध में यदि कोई अस्पष्टता अथवा भ्रम की स्थिति प्रतीत हो रही हो तो वस्तुस्थिति से इस कार्यालय से तत्काल स्पष्ट करा ली जाय।

(जयपाल सिंह)  
प्रमुख अभियन्ता

पत्रांक: 374 / प्र0अ0 / बजट / बी-1 / तदिनांक।

उपरोक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, (सिंचाई) उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. वित्त नियन्त्रक, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, देहरादून इस आशय से प्रेषित है कि उक्त धनराशि की साख सीमा अपने स्तर से निर्गत करने का कष्ट करें तथा साख सीमा की प्रति बजट अनुभाग को भी उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
4. मुख्य अभियन्ता स्तर-11, हल्द्वानी, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
5. प्रबन्ध निदेशक (UPDCC), देहरादून को इस आशय से प्रेषित है कि स्वीकृत कार्यों हेतु सम्बन्धित खण्ड को उतनी ही धनराशि की मांग प्रेषित करने का कष्ट करें, जितनी धनराशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष में हो सके।
5. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
6. अधिशासी अभियन्ता, जमरानी बांध निर्माण खण्ड-2, हल्द्वानी को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि प्रबन्ध निदेशक (UPDCC), देहरादून की मांग के अनुसार धनराशि उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(डी0एस0 कछवाहा)  
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (बजट)  
कृते प्रमुख अभियन्ता